भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 121

दिनांक 02.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंजीकृत भारतीय नागरिक

121. श्री एस. रामलिंगमः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने श्रीलका में हुए वर्ष 1964–1974 के भारत–सिलोन समझौते के अनुसार भारतीय मूल के तमिलों को भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) और (ख) 1964 के सिरिमावो–शास्त्री समझौते के अनुसार, भारत 525,000 व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करेगा, जबकि श्रीलंका 7:4 के अनुपात में 3,00,000 भारतीय मूल के तमिलों (आईओटी) को स्वीकार करेगा और शेष 1,50,000 व्यक्तियों की स्थिति पर बाद में विचार किया जाना था। इसके पश्चात 1974 के सिरिमावो–इंदिरा गांधी करार के अनुसार शेष भारतीय मूल के तमिलों को उनकी संख्या में प्राकृतिक वृद्धि के साथ 1:1 के अनुपात में भारत और श्रीलंका के नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाना था।

श्रीलंका के आईओटी को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(ख) के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया था और उन्हें पासपोर्ट जारी किए गए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2006 तक 1964 और 1974 में हुए दो करारों के तहत कुल 4,61,639 तमिलों को श्रीलंका से भारत वापस लाया गया है।

*****